(215)

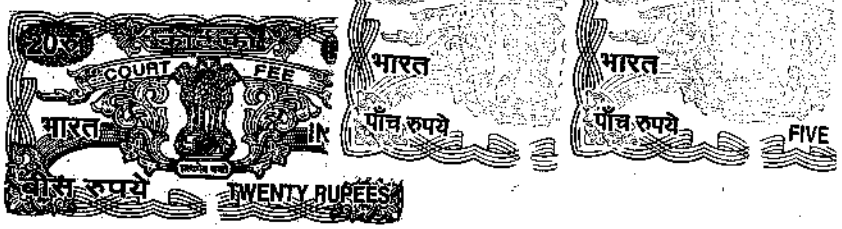

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE

COURT FEE भारत IN बीस रुपये TWENTY RUPEES

कारों एवं अभिभाषकों
दी के हस्ताक्षर

R 1724/II/16

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग -1724-

1. रामदीन पिता रतनसिंह ठाकुर,
2. नन्हेभैया पिता रतनसिंह ठाकुर,
3. गजेन्द्रसिंह पिता रघुराजसिंह ठाकुर
   सभी निवासी ग्राम जैतपुर कोपरा, तह. देवरी,
   जिला सागर (म०प्र०) ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

मोबाईल टॉवर विजन कंपनी,
शाखा जैतपुर कोपरा, तह. देवरी जिला सागर
.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण क्रमाँक 807/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दि० 26–06–2013 में पारित आदेश के विरूद्ध परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्रामवासी जैतपुर कोपरा तहसील देवरी रामदीन, गजेन्द्र वगैरह द्वारा अनुविभागीय अधिकरी के न्यायालय में इस आशय की शिकायत की गई कि ग्राम जैतपुर कोपरा में नवनिर्माणाधीन मोबाईल टावर विजन कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है। टावर रहवासरी एरिया में लग रहा है इसके निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी शराब पीकर रात को गाली गलौज करते हैं तथा चोरी करने के इरादे से घर में घुसने का प्रयास करते हैं। टावर लगने से दुर्घटना होने की संभावनाहै इसलिये टावर निर्माण का स्थान परिवर्तन किए जाने का आदेश दिया जावे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर हल्का पटवारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया तथा प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया किभूमि स्वामी सुजानसिंह, पप्पूसिंह पिता हरीसिंह द्वारा अपनी भूमि ख.नं. 116/3 रकवा 0.02 हेक्टेयर विजन कंपनी को टावर लगाने हेतु दी गई है। विजन कंपनी द्वारा इस भूमि पर टावर निर्माणहेतु किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है, ना ही कृषि भिन्न प्रयोजन होने से डायवर्सन भी कराया है। ग्रामवासियों को भी इस संबंध में आपत्ति है यदि टावर निर्माण किया जाता है तो ग्राम में शांति भंग हो सकती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक को पक्षसमर्थन का अवसर दिया गया जिसमें उसके द्वारा शिकायत का जबाव पेश किया गया तदोपरान्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुए कि टावर कंपनी द्वारा टावर निर्माण के पूर्व किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.1724/I/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1— आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्र.क्र. 807 / बी—121 / 2011—12 में पारित आदेश दि० 26—06—2013 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। न्यायहित में समयसीमा माफ करते हुए प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर किया जा रहा है। 2— आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी देवरी एवं अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया जिनके अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम वासियों की शिकायत का निराकरण उपखण्ड अधिकारी द्वारा किए जाने पर पुनरीक्षण अपर कलेक्टर सागर द्वारा निराकृत किया गया है। टावर कंपनी द्वारा टावर स्थापित किए जाने के पूर्व आवश्यक अनुमति नहीं लेने से उन्हें शासन के निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक अनुमति उपरांत टावर स्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपर आयुक्त सागर द्वारा उपरोक्त पुनरीक्षण आदेश के विरूद्ध अपील श्रवण कर निराकृत की है। जो प्रचलन योग्य नहीं थी। इस कारण अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ। 3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26 / 06 / 2013 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाते है। मोबाइल टावर कंपनी आवश्यक अनुमति उपरांत नियमानुसार टावर स्थापित करने की कार्यवाही कर सकती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	